



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2019/ 6758

दिनांक:- 19.11.2019

—:कार्यवाही विवरण:—

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या	जोन	विषय	निर्णय
1.	—	भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि	समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।
2.	दक्षिण	विवेक विहार व्यावसायिक योजना में 05 ब्लॉक एफ 4/160, एफ 5/160, बी2/100, बी5/60, बी6/60 की योजना अनुमोदन बाबत। आवेदक :- जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- ● विवेक विहार योजना जोधपुर विकास प्राधिकरण की अनुमोदित योजना है। उक्त योजना के विभिन्न सेक्टर में व्यावसायिक उपयोग हेतु ब्लॉक आरक्षित है। उक्त योजना में भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की बैठक दिनांक 27.02.2019 को सात व्यवसायिक ब्लॉक व बैठक दिनांक 10.04.2019 को 10 ब्लॉक, बैठक दिनांक 22.05.2019 को 10 ब्लॉक व बैठक दिनांक 10.06.2019 को 07 ब्लॉक बैठक दिनांक 29.08.2019 को 12 ब्लॉक के ले-आउट अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया था। उक्त के क्रम में अभियांत्रिकी शाखा से प्राप्त 05 ब्लॉक एफ 4/160, एफ 5/160, बी2/100, बी5/60, बी6/60 की मौका रिपोर्ट व विवेक विहार योजना आवाप्त सुदा भूमि आवंटन की लॉटरी अनुसार व विवेक विहार योजना के अनुमोदित मानचित्र अनुसार प्लानिंग कर मानचित्र तैयार किये गये है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।
3.	पूर्व	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 86 मीन व 93/1 मीन रकबा 02.01.08 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ योजना भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- गोमाराम पुत्र श्री पुरखाराम वगैरह भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- प्रकरण को भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठक दिनांक 08.07.2019 में रखा गया तथा मौके पर भूमि में से गुजर रही एच.टी लाईन एंव सेन्ट पॉल स्कूल में जाने वाली सडक की चौड़ाई मानचित्र में अंकित नही होने के कारण पुनः जोन स्तर पर मौका रिपोर्ट उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त क्रम में रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को पुनः को भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठक दिनांक 29.08.2019 में रखा गया तथा आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित सडक के सम्बन्ध में जाँच कर तथा भूमिगत एच.टी लाईन के सेफटी कोरीडोर बाबत रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। समिति के निर्णय की पालना में पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा की ओर स्थित सडक डायसिन सोसाईटी की निजी खातेदारी की 30 फीट भूमि है जो आगे मुख्य 200 फीट रोड से लिंक है उक्त भूमि सोसाईटी की खातेदारी भूमि है, जो रास्ते के रूप में उपयोग में लायी जा रही है। मौके पर उक्त भूमि पर डामरीकृत सडक बनाई जाकर आवागमन हेतु उपयोग में लायी जा रही है। उक्त भूमि थोयोसोफिकल डाईसीन सोसायटी की निजी खातेदारी भूमि है ना कि कोई कटाणी या राजस्व रास्ता है। कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार मौके पर 11 के.वी की भूमिगत विद्युत लाईन है। प्रकरण में उपायुक्त (पूर्व) द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदित भूमि के पीछे स्थित सेन्ट पॉल स्कूल को उपलब्ध रास्ते बाबत राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के निर्णय में उक्त रास्ते बाबत टिप्पणी का

			<p>अवलोकन अपेक्षित हैं।</p> <p>प्रकरण में आवेदित भूमि के पीछे स्थित सेन्ट पॉल स्कूल को उपलब्ध रास्ते बाबत् राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उपायुक्त (पूर्व) द्वारा जांच कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
4.	पूर्व	<p>राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 37/1 वगैरह रकबा 16.11.00 बीघा के मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3बी के तहत आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री चैनाराम पुत्र श्री धन्नाराम वगैरह</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> जोन चैकलिस्ट अनुसार पूर्व में आवेदन खसरा संख्या 37/1, 34 मीन, 37 मीन, 37/2 व 34/2 कुल रकबा 16.16.03 बीघा का किया गया था। खसरा संख्या 34/2 की तरमीम नहीं होने के कारण आवेदकों द्वारा पुनः प्रार्थना-पत्र पेश कर 34/2 की कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया गया। आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग, खसरा संख्या 27 के अनुमोदित ले आउट प्लान से 30 फीट प्राप्त हो रहा है, जो आगे खसरा संख्या 34/2 के भाग (खातेदार श्री शंकरलाल की भूमि) रास्ते हेतु समर्पित भाग से ले-आउट प्लान में 40 फीट सड़क के रूप में दर्शाया गया है। खसरा संख्या 34/2 में खातेदार श्री शंकरलाल पुत्र श्री नारायणराम द्वारा रास्ते हेतु प्रस्तुत समर्पणनामा की प्रति पृष्ठ संख्या 109-110 का राजस्व रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड रास्ता घोषित करवाकर रास्ता घोषित करवा दिया जावेगा, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात् आवेदक द्वारा उपस्थित होकर कार्यालय तहसीलदार, जोधपुर के आदेश की छायाप्रति पेश की है, जिसके अनुसार खातेदार श्री शंकरलाल पि. नारायणलाल मेघवाल, खसरा संख्या 34/2 में 5 बिस्वा 3 बिस्वांशी खातेदारी भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हितार्थ राज्य पक्ष में समर्पित की जा रही है। इस आदेश की प्रति के साथ समर्पित की जाने वाली भूमि को रेवेन्यू मैप में दर्शाकर उसकी छायाप्रति पेश की है। प्रतिया पृष्ठ संख्या 119 से 123 पर संलग्न है। जोन चैकलिस्ट व प्रारूप-7 अनुसार आवेदित भूमि में एक एल.टी लाईन गुजर रही है। जिसकी क्षमता एवम् एलाईमेंट का परिक्षण प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार खसरा संख्या 34/2 में से रास्ते हेतु समर्पित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड रास्ता घोषित करवा कर प्रमाणित तरमीम सुदा राजस्व नक्शा पेश करने पर ही अग्रिम कार्यवाही जोन स्तर से सम्पादित की जावे। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी स्वयं की होगी। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। प्रस्तावित भूमि में एल.टी लाईन गुजर रही है जिसमें नियमानुसार क्षमता अनुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोड़ा जाकर मानचित्र जारी किये जावे।
5.	पूर्व	<p>राजस्व ग्राम बासनी बैदा के खसरा संख्या 54/2/2 रकबा 11.18.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ योजना के संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- मैसर्स आशापूर्णा बिल्डकॉन लि. जरिये श्री करणसिंह (गार्ड पत्रावली)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रकरण में जोन स्तरीय ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 28.02.2014 को मानचित्र अनुमोदित किया गया था। ले-आउट प्लान 28.02.2014 को अनुमोदित है अत योजना की वर्तमान स्थिति एवम् पहुँच मार्ग की वर्तमान स्थिति दर्शाते हुए नवीनतम पी.टी सर्वे एवम् गुगल मानचित्र अपेक्षित है।

		भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रार्थी द्वारा अवगत करवाया गया है कि प्रश्नगत खसरान् के कोई भी पट्टे जारी नहीं करवाये गये हैं। अतः उपरोक्त बाबत् आवेदक से शपथ-पत्र लिया जाना है कि डवलपर द्वारा उक्त योजना में किसी भूखण्ड का बेचान नहीं किया गया। ● आवेदित भूमि पर पूर्व में अनुमोदित ले-आउट प्लान अनुसार योजना कितनी विकसित की गयी है के संबंध में नवीनतम मौका रिपोर्ट अपेक्षित है। ● टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के अनुसार नियत समय में योजना का विकास किया जाना था। अतः उक्त संबंध में निर्णय अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जोन स्तर पर जांच कर एवम् इस संबंध में आम सूचना जारी कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
6.	पूर्व	<p>राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 162 वगैरह रकबा 17.05.00 बीघा के मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3 बी के तहत आवासीय योजना ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- मैसर्स आशापूर्णा बिल्डकॉन लि. जरिये श्री करणसिंह</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित का पहुँच 40 फीट कटाणी मार्ग से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। ● जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि खसरा संख्या 168, रकबा 07.04.00 बीघा किस्म गै.मु रास्ता कटाणी मार्ग पर स्थित है जो नान्दडा कला से बनाड तक जाने वाला मार्ग है। ● जोन चैकलिस्ट व प्रारूप 7 अनुसार आवेदित भूमि के 100 मीटर दायरे में जोजरी नदी स्थित है। ● आवेदित भूमि से लगते हुए मास्टर प्लान की 120 फीट चौड़ी सडक प्रस्तावित है। ● प्रारूप 7 अनुसार आवेदित भूमि में से कोई विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है। ● पत्रावली में उल्लेखित कोर्ट केस के संबंध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● आवेदित भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा में वॉटर बॉडी स्थित है अतः सिंचाई विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जावें। ● आवेदित भूमि खसरा संख्या 168, रकबा 7-04 बीघा, किस्म गैर मुमकिन रास्ता कटाणी मार्ग पर स्थित हैं, जो नान्दडा कला से बनाड जाने वाला मार्ग हैं। अतः उक्त रास्ते का मार्गाधिकार न्यूनतम 100 फीट रखा जावें। ● आवेदित भूमि से लगते हुए मास्टर प्लान की 120 फीट चौड़ी सडक प्रस्तावित है। अतः उक्त सडक को दर्शाते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त कर जारी किया जावें। ● आयोजना शाखा की पत्रावली में उल्लेखित कोर्ट केस के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में जोन एवं अभियांत्रिकी शाखा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावें। ● प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। ● उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी स्वयं की होगी। ● प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7.	पश्चिम	<p>राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 689 रकबा 05.19.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ योजना के ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि से पहुँच सडक का मार्गाधिकार 200 फीट है जो कि मौके पर उपलब्ध रास्ता (डामर सडक) है।

3

		<p>आवेदक :- श्रीमती ललिता के व्यास पत्नी श्री कमलकिशोर</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019</p>	<p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट है जो कि मौके पर उपलब्ध रास्ता (डामर सड़क) है। अतः सड़क मध्य से 100 फीट भूमि आवेदक की भूमि से निःशुल्क समर्पित करनी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। • मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। • प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
8.	उत्तर	<p>राजस्व ग्राम मण्डोर-द्वितीय के खसरा संख्या 808 वगैरह रकबा 08.03.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ योजना के ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- मैसर्स जी.के गुप रजिस्टर्ड जरिये श्री गोविन्दराम</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग खसरा संख्या 805, 805/1 के अनुमोदित मानचित्र में से 40 फीट उपलब्ध है जिसका कुछ भाग खसरा संख्या 806, 807 से भी जाता है। जिसका समर्पण नामा जोन स्तर से लिया जाना अपेक्षित है। • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में मौके पर चार दीवारी की हुई है। • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से एल.टी लाईन गुजर रही है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में नियमानुसार न्यूनतम आवश्यक पहुंच मार्ग 40 फीट उपलब्ध करवाने की शर्त पर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
9.	उत्तर	<p>राजस्व ग्राम देसूरिया विश्नोईयान् के खसरा संख्या 74/14 रकबा 04.04.00 बीघा में से 02.02.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री सुरेशचन्द्र गोयल</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग अनुमोदित ले-आउट प्लान खसरा संख्या 74/16 में से 80 फीट प्राप्त होता है। • जोन चैकलिस्ट अनुसार खसरा संख्या 74/16 एवं खसरा संख्या 74/10 ग्राम देसूरिया विश्नोईयान् का ले-आउट प्लान अनुमोदित हो चुका है। • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के पूर्वी हिस्से को छूते हुए 132 के.वी की एक एच.टी लाईन गुजरती है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुंच मार्ग 80 फीट प्राप्त हो रहा है, जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। • राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी ली जानी/5 प्रतिशत भूमि छोड़ी जावें। • आवेदित भूमि के पूर्वी हिस्से को छूते हुए 132 के.वी की एच.टी लाईन के नीचे नियमानुसार सैफटी कोरीडोर छोड़ते हुये मानचित्र जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त, जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।

3

			<ul style="list-style-type: none"> ● प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
10.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1035/740/9 रकबा 00.08.02 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती शांतिदेवी पत्नी श्री बाबूलाल लढढा</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जोन चैकलिस्ट/प्रारूप 7 अनुसार मौके पर 60 फीट सड़क उपलब्ध हैं जिसका रास्ता प्रयोजनार्थ समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में निष्पादित हैं। अतः रास्ते के मध्य से आवेदित भूमि की दूरी 30' हैं। ● जोन चैकलिस्ट/प्रारूप 7 अनुसार आवेदित भूमि में से कोई एच.टी. लाईन नहीं हैं। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुंच मार्ग 60 फीट प्राप्त हो रहा है, जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। ● राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी ली जानी/5 प्रतिशत भूमि छोड़ी जावें। ● प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। ● उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त, जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। ● प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
11.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1035/740/8 रकबा 00.11.02 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती लीलादेवी पत्नी श्री जुगलकिशोर झंवर</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जोन चैकलिस्ट/प्रारूप 7 अनुसार मौके पर 60 फीट सड़क उपलब्ध हैं जिसका रास्ता प्रयोजनार्थ समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में निष्पादित हैं। अतः रास्ते के मध्य से आवेदित भूमि की दूरी 30' हैं। ● जोन चैकलिस्ट/प्रारूप 7 अनुसार आवेदित भूमि में से कोई एच.टी. लाईन नहीं हैं। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुंच मार्ग 60 फीट प्राप्त हो रहा है, जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। ● राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी ली जानी/5 प्रतिशत भूमि छोड़ी जावें। ● प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। ● उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त, जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। ● प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
12.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1972/931 रकबा 00.16.05 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री सुनील पुत्र श्री रमेश, श्री रमेश पुत्र श्री पूनाराम</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जोन चैकलिस्ट/प्रारूप 7 अनुसार मौके पर 60 फीट सड़क उपलब्ध हैं जिसका रास्ता प्रयोजनार्थ समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में निष्पादित हैं। अतः रास्ते के मध्य से आवेदित भूमि की दूरी 30' हैं। ● जोन चैकलिस्ट/प्रारूप 7 अनुसार आवेदित भूमि में से कोई एच.टी. लाईन नहीं हैं। ● आवेदित भूमि की 90/ए की कार्यवाही आदेश दिनांक 26.03.2019 द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ की गयी है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.08.2019 को आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र स्वीकृत का आवासीय पट्टा

8

		07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019	जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः 90/ए बाबत नियमानुसार कार्यवाही जोन स्तर पर किया जाना अपेक्षित है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में 90/ए के संशोधित आदेश जोन स्तर पर नियमानुसार जारी कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
13.	दक्षिण	राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1035/740 (नया खसरा संख्या 1035/740/7) रकबा 01.06.06 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्रीमती प्रियका पत्नी श्री कैलाशचन्द, श्रीमती किरण धारीवाल पत्नी श्री राकेश कुमार भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- <ul style="list-style-type: none"> जोन चैकलिस्ट अनुसार 60 फीट बासनी क्षेत्र में निजी खातेदारी में से रास्ता उपलब्ध मार्ग जिसका समर्पणनामा राज्य सरकार के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है। जोन चैकलिस्ट/प्रारूप-7 अनुसार आवेदित भूमि में से कोई एच.टी लाईन नहीं गुजर रही है। प्रकरण में आपत्ति प्राप्त है, जिसका निस्तारण जोन स्तर से किया जाना अपेक्षित है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में प्राप्त आपत्ति का नियमानुसार निस्तारण जोन स्तर पर करने के उपरांत आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
14.	दक्षिण	राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1035/740/4 रकबा 04.18.18 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री मनीष झंवर पुत्र श्री जुगलकिशोर भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- <ul style="list-style-type: none"> जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को खसरा संख्या 1035/740 में से भूमि समर्पण कर 60 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। पूर्व में 80 फीट मार्गाधिकार रखते हुये पट्टे जारी किये गये हैं। जोन चैकलिस्ट/प्रारूप-7 अनुसार आवेदित भूमि में से कोई विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है। प्रारूप-7 अनुसार मौके पर 60 फीट सड़क उपलब्ध है। अतः सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी 30 फीट है। प्रारूप-7 अनुसार मौके पर फ़ैक्ट्री निर्माणाधीन पायी गयी। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग पर पूर्व में जारी पट्टा विलेखों में अंकित मार्गाधिकार की जांच उपायुक्त स्तर पर की जाकर प्रकरण को मार्गाधिकार संबंधी रिकॉर्ड सहित आगामी बैठक में रखा जावे।
15.	दक्षिण	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 358 रकबा 02.10.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्रीमती कनकी पत्नी श्री रावतराम मेघवाल भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- <ul style="list-style-type: none"> जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग प्राधिकरण की अनुमोदित योजना खसरा संख्या 361/1, 362 ग्राम पाल मे से 40 फीट रास्ता प्राप्त होता है। मास्टर प्लान अनुसार प्रस्तावित सड़क के एलाईमेंट उपरान्त संशोधित मानचित्र लिया जाना अपेक्षित है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- <ul style="list-style-type: none"> जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग प्राधिकरण की अनुमोदित योजना खसरा संख्या 361/1, 362 ग्राम पाल मे से 40 फीट रास्ता प्राप्त होता है, जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। साथ ही मास्टर प्लान अनुसार प्रस्तावित सड़क को अंकित कर मानचित्र जारी किये जावें। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन

82

			विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
16.	दक्षिण	राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 30/13 रकबा 06.10.00 बीघा में से 05.00.14 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री रामाराम पुत्र श्री छोटाराम भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मौके पर 16 फीट डामर सड़क निर्मित है। आवेदक द्वारा अपनी भूमि में से समर्पण 60 फीट रास्ता है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.08.2015 व 08.02.2016 के अनुसार न्यूनतम विद्यमान पहुँच मार्ग 40 फीट नही होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
17.		राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1573/1090, 1574/1090 रकबा 01.16.10 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री विष्णुप्रकाश पुत्र श्री श्यामलाल व नरेश गोयल भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- ● प्रकरण को भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठक दिनांक 08.07.2019 में रखा गया समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि को आस-पास सड़क की मौका रिपोर्ट एवम् उक्त सड़क पर पूर्व में संपरिवर्तित प्रकरणों में निर्धारित सड़क चौड़ाई की रिपोर्ट पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त के क्रम में पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 60 फीट सड़क पूर्व में बासनी योजना में छोड़ी गयी है। रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी भूमि से छोड़ी गयी है। प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नगत प्रकरण में पहुँच मार्ग हेतु स्वयम् की भूमि में से 10 फीट भूमि सड़क के लिये समर्पित करने की सहमति दी है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.02.2013 के अनुसार न्यूनतम आवश्यक पहुँच मार्ग 80 फीट की उपलब्धता की सुनिश्चितता के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
18.	दक्षिण	राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1971/931 रकबा 00.17.18 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री रमेश पुत्र श्री पूनाराम भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- ● जोन चैकलिस्ट/प्रारूप 7 अनुसार मौके पर 60 फीट सड़क उपलब्ध हैं जिसका रास्ता प्रयोजनार्थ समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में निष्पादित हैं। अतः रास्ते के मध्य से आवेदित भूमि की दूरी 30' हैं। ● आवेदित भूमि की 90/ए की कार्यवाही आदेश दिनांक 26.03.2019 द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ की गयी है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.08.2019 को आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र स्वीकृत का आवासीय पट्टा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः 90/ए बाबत नियमानुसार कार्यवाही जोन स्तर पर किया जाना अपेक्षित है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में 90/ए के संशोधित आदेश जोन स्तर पर नियमानुसार जारी कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
19.	दक्षिण	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 178/14 रकबा 01.00.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री ताराचन्द पुत्र श्री मानाराम भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- ● जोन चैकलिस्ट अनुसार मौके पर 40 फीट का पहुँच मार्ग खसरा संख्या 178/12 की गैर अनुमोदित एवं वर्तमान में आवेदित भूमि में से उपलब्ध होना दर्शाया है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.08.2015 व 08.02.2016 के अनुसार न्यूनतम विद्यमान पहुँच मार्ग 40 फीट नही होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
20.	दक्षिण	राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 317/2, 318/2 रकबा 10.16.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- मारवाड डवलपर्स जरिये	समिति को अवगत करवाया गया कि :- ● जोन चैकलिस्ट अनुसार 80 फीट पूर्व में स्वीकृत खसरा संख्या 315 व 316 में से है। ● उक्त 80 फीट पहुँच मार्ग 132 के.वी एच.टी लाईन के नीचे है।


7

		<p>भागीदार श्री जितेन्द्रसिंह गौड</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019</p>	<p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जोन चैकलिस्ट अनुसार पूर्व में स्वीकृत खसरा संख्या 315 व 316 में से 80 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है, जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। ● मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। ● प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। ● उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। ● प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
21.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1976/1267 रकबा 00.15.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री जय सुराणा नाबालिग जरिये श्री कुदरती वली नरपत सुराणा वगैरह</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● प्रारूप/7 अनुसार आवेदित भूमि पर चार दिवारी निर्मित है। ● प्रारूप/7 अनुसार उक्त भूमि के मौके पर आवासीय निर्माण पाया गया। ● जोन चैकलिस्ट के बिन्दु संख्या 17 में पहुँच मार्ग की रिपोर्ट अकिंत नहीं है। प्रारूप-7 अनुसार 100 फीट सडक मार्गाधिकार उपलब्ध है। ● संलग्न पी.टी सर्वे एवं साईट प्लान में रोड अलाईनमेंट में भिन्नता है। ● भूमि उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर स्थित 40 फीट सडक के समर्पण नामा के सम्बंध में उपायुक्त जोन से टिप्पणी अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जोन स्तर पर जांच कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
22.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1035/740/6 रकबा 00.05.03 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री मोतीचन्द जैन पुत्र श्री सम्पतराज जैन</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि खसरा संख्या 1035/740 में से भूमि समर्पण कर मौके पर उपलब्ध 60 फीट सडक पर स्थित है। ● जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर चारदीवारी मय मकान निर्माणाधीन है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग 60 फीट प्राप्त हो रहा है, जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। ● आवेदित भूमि में मौके पर सेटबैक में निर्माण है अतः सेटबैक में अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने के उपरान्त पट्टा विलेख जारी किया जावें जिसकी सुनिश्चिता जोन स्तर से की जावें। ● राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी ली जानी/5 प्रतिशत भूमि छोड़ी जावें। ● प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। ● उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त, जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। ● प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन

①

			विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
23.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम घिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 284, 291 वगैरह के अनुमोदित आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या संशोधन बाबत।</p> <p>आवेदक :- आशापूर्णा बिल्डकॉन जरिये श्री करणसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह गार्ड पत्रावली (आशापूर्णा एन्क्लेव)</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>प्रकरण में ले-आउट प्लान समिति की पंचम बैठक दिनांक 21.05.2010 को मानचित्र अनुमोदित किया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ले-आउट प्लान, रजिस्ट्री एवम् पट्टा विलेख में दर्शात भूखण्डों के नम्बरों में समानता है परन्तु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार मौके पर भूखण्ड संख्या 35/ए के स्थान पर 34/ए, 34/ए के स्थान पर 35/ए, 33/ए के स्थान पर 32/ए व 32/ए के स्थान पर 35/ए काबिज है अतः मौके पर काबिज अनुसार ले-आउट प्लान के एक ब्लॉक में संशोधन प्रस्तावित है।</p> <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्डों के जारी पट्टा विलेखों एवम् पंजिकृत बेचाननामों का विस्तृत परीक्षण जोन स्तर पर कर जोन उपायुक्त की टिप्पणी सहित आगामी बैठक में रखा जावें।</p>

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(अनुज अग्रवाल)

निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री मेघराज सिंह रतनू, आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री हरभान मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर | सदस्य |
| 3. श्री लाडूराम विश्‍नोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री श्रवणसिंह राजावत, उपायुक्त (उत्तर/पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री अनिल कुमार पुनिया (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्री ओ.पी. विश्‍नोई, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 7. श्री अनुज अग्रवाल, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |

(Signature) 19/11/19

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एल.पी.)

क्रमांक :- F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी)/का.वि./2019/ 6758-68

दिनांक:- 19.11.2019

प्रतिलिपि :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उप/सहायक नगर नियोजक जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. एसीपी श्री हेमराज को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करें।

(Signature) 19/11/19

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एल.पी.)